

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3042 का उत्तर

कोलकाता मेट्रो येलो लाइन की प्रगति

3042. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नोआपाड़ा-जय हिन्द विमानपत्तन-बारासात को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन की विस्तृत परियोजना/प्रगति रिपोर्ट क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए अनुमानित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): 1972 में कोलकाता में मेट्रो परियोजना शुरू की गई थी। तब से कमीशन की गई मेट्रो का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई मेट्रो
1972 से 2014 (42 वर्ष)	28 किलोमीटर
2014 से 2025 (11 वर्ष)	45 किलोमीटर

कमीशन किए गए मेट्रो कॉरिडोर का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	मेट्रो कॉरिडोर	कमीशन किया गया खंड
1	कवि सुभाष - नोआपारा (28 कि.मी.) (ब्लू लाइन)	यह कॉरिडोर वर्ष 2014 से पहले कमीशन किया गया था (इसे पूरा होने में लगभग 42

		साल लगे)
2	नोआपारा - दक्षिणेश्वर (4.14 कि.मी.) (ब्लू लाइन का विस्तार)	यह कॉरिडोर 2020-21 में कमीशन किया गया था।
3	नोआपारा - जय हिंद एयरपोर्ट - बारासात (18 कि.मी.) (येलो लाइन)	नोआपारा - जयहिंद हवाई अड्डा खंड (6.77 कि.मी.) 2025-26 में कमीशन किया गया है।
4	जोका - माजेरहाट - एस्प्लेनेड (14 कि.मी.) (पर्पल लाइन)	जोका - माजेरहाट खंड (7.74 किमी) 2022 से 2024 तक चरणों में कमीशन किया गया है।
5	नया गरिया - बेलाघाटा - दमदम एयरपोर्ट (32 कि.मी.) (ऑरेंज लाइन)	नया गरिया - बेलाघाटा (9.8 किमी) 2023-26 के बीच चरणों में कमीशन किया गया है।
6	हावड़ा मैदान - साल्ट लेक खंड V (16.55 कि.मी.) (ग्रीन लाइन)	यह कॉरिडोर 2019 से 2025 तक चरणों में कमीशन किया गया है।

इसके अलावा, लगभग 52 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले 4 मेट्रो कॉरिडोर से संबंधित कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 20 किलोमीटर का कार्य भूमि अधिग्रहण और राज्य सरकार से संबंधित उपयोगिता स्थानांतरण के मुद्दों के कारण रुका हुआ है। बहरहाल मेट्रो के बाकी हिस्सों में, कार्य चल रहा है, फिर भी राज्य सरकार की ओर से एक के बाद एक कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विवरण निम्नानुसार हैं:

- (i) नोआपारा - जय हिंद एयरपोर्ट - बारासात (18 किलोमीटर): नोआपारा-जय हिन्द एयरपोर्ट (6.77 किलोमीटर) को चालू कर दिया गया है और जय हिन्द एयरपोर्ट से माइकल नगर तक कार्य प्रगति पर है। बहरहाल, न्यू बैरकपुर से बारासात (7.5 किलोमीटर) तक का कार्य राज्य अधिकारियों द्वारा हल किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण और अतिक्रमण संबंधी मुद्दों के कारण रुका हुआ है।

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	न्यू बैरकपुर से बारासात	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस खंड में भूमि अधिग्रहण (23000 वर्ग मीटर) और सघन अतिक्रमणों (1277 झोपड़ियाँ, 764 दुकानें) को हटाना अंतर्ग्रस्त है।</li> <li>पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यह मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया है।</li> </ul>

- (ii) जोका - माजेरहाट - एस्प्लेनेड (14 किलोमीटर):- जोका-माजेरहाट (7.74 किलोमीटर) को चालू कर दिया गया है और माजेरहाट से एस्प्लेनेड (6.62 किलोमीटर) तक का

शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	खिदिरपुर मेट्रो स्टेशन	<ul style="list-style-type: none"> <li>जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण और सड़क यातायात के मार्ग-परिवर्तन के लिए, राज्य सरकार (कोलकाता सशस्त्र पुलिस) की 837 वर्ग मीटर स्थायी और 1702 वर्ग मीटर अस्थायी भूमि की आवश्यकता है। 24.08.2020 को राज्य सरकार को इस भूमि का प्रस्ताव भेजा गया था।</li> <li>उपर्युक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई थीं।</li> <li>काफी अधिक अनुनय पश्चात, अंततः लगभग पूरे 5 वर्ष के बाद जुलाई 2025 में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।</li> </ul>
2.	डॉ. बी.सी. राय मार्केट	<ul style="list-style-type: none"> <li>एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए, रक्षा भूमि पर बी.सी. राय मार्केट में 528 अनधिकृत दुकानों के अस्थायी स्थानांतरण की आवश्यकता है।</li> <li>फरवरी, 2022 में राज्य सरकार को मार्केट के अस्थायी/स्थायी स्थानांतरण के लिए अनापित प्रमाण-पत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। रेलवे द्वारा इन अनधिकृत दुकानों के अस्थायी स्थानांतरण के लिए भी दुकानों का निर्माण भी किया जा चुका है।</li> <li>राज्य सरकार से स्थानांतरण में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। राज्य लोक निर्माण विभाग के साथ नियमित अनुवर्तन भी किया जा रहा है।</li> <li>यह मुद्दा 3.5 से अधिक वर्षों से लंबित है।</li> </ul>

(iii) न्यू गरिया - बेलाघाटा - दमदम एयरपोर्ट (32 किलोमीटर): न्यू गरिया - बेलाघाटा (9.8 किलोमीटर) को चालू कर दिया गया है और बेलाघाटा से दमदम एयरपोर्ट (22.2 किलोमीटर) तक का शेष कार्य शुरू कर दिया गया है। बहरहाल, इस कार्य की प्रगति निम्नलिखित समस्याओं के कारण प्रभावित है:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	चिंगरीघाटा क्रॉसिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिंगरीघाटा चौराहे पर सड़क के दोनों ओर 3 रातों (8</li> </ul>

	(बेलाघाटा - गौर किशोर घोष स्टेशन के बीच)	<p>घंटे प्रति रात) के लिए मार्गसेतु खंड को लांच करने हेतु यातायात के अस्थायी मार्ग-परिवर्तन की आवश्यकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• दिसंबर, 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।</li> <li>• फरवरी, 2025 में मार्ग-परिवर्तन सड़क का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है, जैसा कि कोलकाता यातायात पुलिस द्वारा वांछा की गई थी।</li> <li>• तब से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए विभिन्न राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ कई बैठकें की जा चुकी हैं।</li> <li>• 12 माह के बाद भी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।</li> </ul>
--	--	---

(iv) वराहनगर - बैरकपुर - दक्षिणेश्वर (14.5 किलोमीटर): वराहनगर - दक्षिणेश्वर (2 किलोमीटर) को चालू कर दिया गया है और वराहनगर से बैरकपुर (12.5 किलोमीटर) तक का शेष कार्य राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण में विलंब के कारण रुका हुआ है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	स्थान	समस्याएं
1.	वराहनगर से बैरकपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>• मेट्रो रेलवे, आरवीएनएल और कोलकाता नगर निगम के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2011 में बी.टी. रोड के समानांतर मूल संरेखण पर सहमति हुई थी।</li> <li>• समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा मौजूदा पाइपलाइन को 64 इंच व्यास की नई पाइपलाइन से बदला जाना था।</li> <li>• वर्ष 2012 में इन पाइपलाइन के स्थानांतरण का कार्य पूरा हो गया था।</li> <li>• बहरहाल, पश्चिम बंगाल सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।</li> </ul>

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वानिकी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

\*\*\*\*\*